स्थानांतरण के लिये सरकार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्देश

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य सरकार को एक महीने के भीतर **अपने परिचालन को नैनीताल से बाहर** ले जाने अर्थात् **स्थानांतरण के लिये** एक नई साइट का पता लगाने का **निर्देश** दिया है, यह कहते हुए कि यह कदम जनता के सर्वोत्तम हित में है।

मुख्य बिंदु:

- न्यायालय ने **रजिस्ट्रार जनरल** को इस मुद्दे पर अधिवक्ताओं और आम जनता से **सुझाव लेने के लिये एक पोर्टल बनाने का** भी निर्देश दिया।
- **उच्च न्यायालय को हलद्वानी के गौलापार में स्थानांतरित** करने के **राज्य सरकार के पूर्व प्रस्ताव पर**, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस उद्देश्य के लिये निर्धारित भूमि में 75% वन क्षेत्र था और **क्षेत्र में निर्माण से वनों की कटाई** होगी।
    - उच्च न्यायालय ने इसके स्थानांतरण और सुविधाओं के लिये आवश्यक भूमि के प्रकार हेतु कुछ सिफारिशें भी कीं, जिनमें **न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों** तथा **न्यायालय कक्षों** के लिये उचित आवास शामिल हैं।
    - **परिसर को स्थानांतरित करने** के उच्च न्यायालय के निर्णय का **बार एसोसिएशन** ने काफी विरोध किया है।

भारतीय विधिज्ञ

- **परिचय**
    - भारतीय विधिज्ञ परिषद भारतीय बार को विनियमित करने और प्रतिनिधित्व करने के लिये **अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत** संसद द्वारा बनाई गई एक **संवैधिक निकाय** है।
- **विनियामक कार्य:**
    - अधिवक्ताओं के लिये **पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक** निर्धारित करना।
    - अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के लिये प्रक्रियाएँ स्थापित करना।
    - भारत में विधिक शिक्षा के लिये मानक निर्धारित करना और योग्य कानून डिग्री को मान्यता **अन्य दयत्वि:**
    - अधिवक्ताओं के **अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा** करना।
    - चितों के लिये कानूनी सहायता का आयोजन करना।
    - विधिज्ञ परिषद के सदस्यों के लिये चुनाव आयोजित करना।
    - किसी भी मामले से निपटना जो राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा उसे भेजा जा सकता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-high-court-asks-government-for-relocation